भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या – †18

सोमवार, 25 नवंबर, 2024/4 अग्रहायण, 1946 (शक)

राज्य सरकारों को विकास निधियां

†18. श्री राहुल कस्वां:
श्री विष्णु दयाल राम:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्यों के विकास के लिए विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों को निधि प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राजस्थान सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा राज्यों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विकास हेतु लोगों को सुविधाएं और सहायता प्रदान करने के लिए प्रदान की गई धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है और यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी कौन-कौन सी योजनाएं हैं;

(घ) क्या उक्त निधि से हुए व्यय की निगरानी हेतु कोई तंत्र विकसित किया गया है और यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त तंत्र किस प्रकार कार्य करता है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने संबंधित विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और राज्यों को उपलब्ध कराई गई ब्याज आधारित निधि के उपयोग की निगरानी के लिए कोई व्यवस्था की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) तथा (ख): केंद्र सरकार राज्यों के विकास के लिए वित्त आयोग अंतरण, केंद्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस), केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों (सीएस), बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए), विशेष सहायता, पूंजीगत निवेश/व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता हेतु स्कीम आदि शीर्षों के अंतर्गत मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से राज्यों को निधियां प्रदान करती है।

वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत राजस्थान सहित राज्यों को निधियों के अंतरण का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग) से (छ): संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न कल्याणकारी स्कीमों के तहत राज्यों को निधियों का आवंटन/निधियों का जारी करना स्कीम के अनुमोदित दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाता है। राज्यों को निधियाँ सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) तथा केंद्र सरकार के पास कुल बजटीय सहायता (जीबीएस) में निधियों की उपलब्धता के अनुसार जारी की जाती हैं। अप्रयुक्त निधियां अगले वर्ष के दौरान देय सहायता अनुदान में समायोजित की जाती हैं। साथ ही, वांछित उद्देश्य के लिए सरकारी धन के व्यय की स्वतंत्र लेखापरीक्षा के लिए उचित प्रक्रिया विद्यमान है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राज्य व्यय की लेखापरीक्षा कराता है तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है।

इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) ने राजकोष और बैंक इंटरफेस के माध्यम से कार्यक्रम क्रियान्वयन के सभी स्तरों पर व्यय की रिपोर्टिंग सहित भारत सरकार की सभी कल्याणकारी स्कीमों के अंतर्गत जारी निधियों की ट्रैकिंग के लिए एक ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन सूचना तथा निर्णय सहायता प्रणाली की स्थापना की है।

****

दिनांक 25 नवंबर, 2024, दिन सोमवार को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा लिखित प्रश्न संख्या 18 का अनुबंध

क) राज्यों को वित्त आयोग अंतरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	21342.43	13174.27	9640.84
2	अरुणाचल प्रदेश	439.69	210.40	220.80
3	असम	8916.05	7605.00	5599.23
4	बिहार	8116.52	6732.65	7662.52
5	छत्तीसगढ	2379.79	1772.80	1770.90
6	गोवा	119.55	54.20	10.80
7	गुजरात	5002.42	5304.63	5257.89
8	हरियाणा	1493.43	1620.75	1973.33
9	हिमाचल प्रदेश	11044.26	10703.96	9525.41
10	झारखंड	2318.80	1826.59	2378.28
11	कर्नाटक	7862.34	4435.08	3768.62
12	केरल	22171.13	15382.30	7245.69
13	मध्य प्रदेश	5946.40	5494.77	7028.14
14	महाराष्ट्र	8748.90	9968.16	8815.73
15	मणिपुर	2674.38	2387.70	2122.80
16	मेघालय	1494.65	1144.70	775.20
17	मिजोरम	1910.29	1685.50	1635.90
18	नागालैंड	4763.51	4737.00	4534.80
19	उड़ीसा	5056.77	4220.80	4867.22
20	पंजाब	12435.61	10258.45	7388.82
21	राजस्थान	17210.67	10521.20	5590.55
22	सिक्किम	852.71	528.20	323.26
23	तमिलनाडु	10116.77	5791.68	6250.76
24	तेलंगाना	1850.93	3359.39	2924.42
25	त्रिपुरा	4911.08	4654.90	4577.16
26	उत्तर प्रदेश	12306.42	12383.74	14837.44
27	उत्तराखंड	9424.10	8501.24	8050.20
28	पश्चिम बंगाल	23867.47	19824.48	14614.37
कुल*		**214777.05**	**174284.53**	**149391.05**

*: उपरोक्त सभी आंकड़ों में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (एनडीएमएफ) शामिल हैं ।

ख) राज्यों को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का अंतरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	10624.13	16776.19	14669.63
2	अरुणाचल प्रदेश	4878.69	4353.28	4466.85
3	असम	23147.28	24804.39	23070.95
4	बिहार	21893.52	25174.75	22991.69
5	छत्तीसगढ	9335.47	13530.07	13525.13
6	गोवा	173.43	341.21	381.99
7	गुजरात	12701.04	14472.83	14063.05
8	हरियाणा	4014.29	4405.84	4022.60
9	हिमाचल प्रदेश	6902.81	5861.33	5047.57
10	झारखंड	9626.26	11172.22	11754.97
11	कर्नाटक	18297.56	19191.78	19421.42
12	केरल	8299.85	10249.13	8061.35
13	मध्य प्रदेश	30383.61	30145.75	26249.99
14	महाराष्ट्र	16785.19	24443.01	30293.86
15	मणिपुर	3537.43	3634.16	1898.38
16	मेघालय	4423.31	4467.45	6206.81
17	मिजोरम	1872.91	2470.16	2538.07
18	नागालैंड	2403.95	2880.78	3466.75
19	ओडिशा	17940.66	17287.91	21804.50
20	पंजाब	4963.21	5023.71	4348.19
21	राजस्थान	25423.81	26912.37	21732.04
22	सिक्किम	1095.25	1318.13	1444.98
23	तमिलनाडु	24397.22	24164.13	28017.89
24	तेलंगाना	12753.72	13093.88	13890.73
25	त्रिपुरा	4709.49	4705.62	5347.36
26	उत्तर प्रदेश	44286.03	51425.59	63921.69
27	उत्तराखंड	5734.52	6819.50	7081.52
28	पश्चिम बंगाल	18545.33	13137.88	11386.27
कुल		**349149.97**	**382263.05**	**391106.23**

ग) केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (सीएस)

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	13841.42	11279.85	11218.13
2	अरुणाचल प्रदेश	666.71	319.15	372.75
3	असम	5908.91	4711.93	7118.27
4	बिहार	15289.36	18002.26	13020.61
5	छत्तीसगढ	13252.79	10695.63	8103.89
6	गोवा	1925.21	2918.15	3454.74
7	गुजरात	17124.73	19567.52	15937.95
8	हरियाणा	12856.79	13683.57	15258.51
9	हिमाचल प्रदेश	1335.84	1170.13	1019.05
10	झारखंड	2190.16	1987.80	2000.48
11	कर्नाटक	14426.64	15274.59	13692.40
12	केरल	6898.96	7262.03	6039.77
13	मध्य प्रदेश	24715.68	18115.53	27251.71
14	महाराष्ट्र	122781.80	112496.95	74800.00
15	मणिपुर	681.59	412.19	339.24
16	मेघालय	2858.53	2309.51	2175.06
17	मिजोरम	536.57	154.25	205.84
18	नागालैंड	626.17	238.59	259.52
19	ओडिशा	16799.37	15383.36	21790.80
20	पंजाब	4631.71	2791.38	4317.48
21	राजस्थान	18750.94	27821.98	20998.58
22	सिक्किम	313.54	117.79	91.87
23	तमिलनाडु	16831.48	18915.90	16782.24
24	तेलंगाना	21088.64	25830.62	22811.45
25	त्रिपुरा	628.95	444.34	405.49
26	उत्तर प्रदेश	43480.97	59618.44	52503.19
27	उत्तराखंड	3655.06	2901.65	1834.82
28	पश्चिम बंगाल	18847.09	22565.68	15508.57
कुल		**402945.61**	**416990.77**	**359312.41**

घ) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के लिए सहायता अनुदान

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	7.35	20.57	25.75
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
3	असम	1390.34	1219.35	1806.71
4	बिहार	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ	7.56	8.87	20.16
6	गोवा	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	0.00	0.00	0.00
8	हरियाणा	0.00	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	762.23	801.29	1198.65
10	झारखंड	0.00	0.00	0.00
11	कर्नाटक	5.50	13.79	0.00
12	केरल	0.00	0.00	0.00
13	मध्य प्रदेश	18.42	8.24	13.27
14	महाराष्ट्र	0.62	0.19	0.24
15	मणिपुर	373.44	974.56	483.54
16	मेघालय	204.98	500.69	611.60
17	मिजोरम	88.48	53.12	96.24
18	नागालैंड	153.03	128.37	157.08
19	ओडिशा	3.81	0.00	0.00
20	पंजाब	0.00	0.00	0.00
21	राजस्थान	1.87	0.00	0.00
22	सिक्किम	7.21	22.50	10.58
23	तमिलनाडु	8.69	14.34	9.49
24	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00
25	त्रिपुरा	58.07	74.43	310.91
26	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00
27	उत्तराखंड	774.80	856.97	733.72
28	पश्चिम बंगाल	0.00	0.58	0.89
	कुल	**3866.40**	**4697.87**	**5478.83**

ङ) विशेष सहायता (अनुदान)

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	2785.39	1671.233	11188.748
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	500.00	0.00
3	असम	0.00	0.00	0.00
4	बिहार	250.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ	0.00	0.00	0.00
6	गोवा	150.00	0.00	200.00
7	गुजरात	431.00	0.00	0.00
8	हरियाणा	0.00	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
10	झारखंड	0.00	0.00	0.00
11	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00
12	केरल	0.00	0.00	0.00
१३	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00
14	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00
15	मणिपुर	0.00	0.00	250.00
16	मेघालय	0.00	0.00	0.00
17	मिजोरम	0.00	0.00	0.00
18	नागालैंड	0.00	0.00	0.00
19	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00
20	पंजाब	0.00	0.00	0.00
21	राजस्थान	0.00	0.00	0.00
22	सिक्किम	0.00	100.00	0.00
23	तमिलनाडु	150.00	0.00	0.00
24	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00
25	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
26	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00
27	उत्तराखण्ड	0.00	0.00	56.46
28	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00
कुल		**3766.39**	**2271.233**	**11695.208**

च) पूंजीगत निवेश/व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	501.79	6105.56	4090.81
2	अरुणाचल प्रदेश	371.19	1564.10	2363.42
3	असम	600.00	4300.14	5804.43
4	बिहार	1246.50	8455.85	8814.80
5	छत्तीसगढ	423.00	2941.97	3365.25
6	गोवा	111.04	572.75	695.20
7	गुजरात	432.00	4045.82	4254.32
8	हरियाणा	135.00	1267.00	1702.05
9	हिमाचल प्रदेश	800.00	650.80	1515.97
10	झारखंड	246.00	2964.32	4580.61
11	कर्नाटक	451.50	3399.35	3879.24
12	केरल	238.50	1902.74	0.00
१३	मध्य प्रदेश	1512.36	7360.20	12636.21
14	महाराष्ट्र	771.73	6744.16	5376.31
15	मणिपुर	212.85	467.22	542.70
16	मेघालय	281.20	1049.02	1293.06
17	मिजोरम	299.99	297.50	743.28
18	नागालैंड	300.00	504.16	973.20
19	ओडिशा	517.12	75.00	3532.14
20	पंजाब	223.50	798.22	0.00
21	राजस्थान	692.41	5595.64	8513.42
22	सिक्किम	300.00	551.36	797.85
23	तमिलनाडु	505.50	4011.27	5326.42
24	तेलंगाना	214.14	2500.98	1948.34
25	त्रिपुरा	118.54	349.79	662.92
26	उत्तर प्रदेश	1483.00	7940.50	19215.08
27	उत्तराखंड	263.92	1124.01	1911.71
28	पश्चिम बंगाल	933.00	3655.92	5015.58
कुल		**14185.78**	**81195.35**	**109554.30**